



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 04.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने 20 लाख रूपये की रंगदारी व चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस तथा रंगदारी मांगने में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन, चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन एवं एक अन्य मोबाइल फोन बरामद ।

### घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

1- दिनांक 23.03.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी खालिद पुत्र इस्लाम निवासी अतिशय कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके मोबाइल फोन पर 20 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त



तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 223/22 धारा 386 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 04.06.22 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी नकुल पुत्र स्व0 बेदी निवासी गुराना रोड कमला नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसका मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का चोरी कर लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 488/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 223/22 धारा 386 भादवि में 20 लाख रुपये की रंगदारी व मु0अ0सं0 488/22 धारा 379 भादवि में चोरी की घटना का सफल अनवारण करते हुए 02 अभियुक्त 1- शोएब 2- परवेज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस व उपरोक्त चोरी के अभियोग से सम्बन्धित चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी का व रंगदारी मांगने में प्रयुक्त किये गये मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शोएब पुत्र तकी निवासी अतिशय कालोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- परवेज पुत्र शहीद निवासी ग्राम निवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।  
हाल निवासी अतिशय कालोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस।
- रंगदारी मांगने में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन (सैमसंग किपैड) सम्बन्धित मु0अ0सं0 223/22 धारा 386 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी) सम्बन्धित मु0अ0सं0 488/22 धारा 379 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 01 मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 223/22 धारा 386 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 488/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 489/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 490/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

## सर्विलांस टीम-

- 1- प्रभारी उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा (सर्विलांस सैल बागपत)
- 2- है0 का0 गवेन्द्र सिंह (सर्विलांस सैल बागपत)
- 3- का0 दीपक तेवतिया (सर्विलांस सैल बागपत )
- 4- का0 अरुण कुमार (सर्विलांस सैल बागपत)
- 5- का0 रक्षित (सर्विलांस सैल बागपत )
- 6- का0 अनुज (सर्विलांस सैल बागपत)

## थाना बडौत टीम-

- 7- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत
- 8- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना बडौत
- 9- का0 166 कुलदीप सिं थाना बडौत
- 10-का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत
- 11-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत
- 12-का0 814 अमित नागर थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 04.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 485/22 धारा 376डी, 506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 485/22 धारा 376डी, 506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री नरेशचन्द थाना बडौत
- 2-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया
- 3-का0 166 कुलदीप देशवाल
- 4-का0 402 विशाल पुनिया
- 5-का0 403 नितिन त्यागी
- 6-का0 814 अमित नागर



**प्रेस नोट**

**थाना खेकड़ा**

**दिनांक 04.06.2022**

**थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380/411/34 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन बरामद।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 03.06.2022 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने सूचना दी कि 02 अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से उसका एक मोबाइल फोन किपैड (लावा कम्पनी) चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर



मु0अ0स0 221/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- शाबिर पुत्र मौहम्मद चाँद निवासी ग्राम ठिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
2. चन्दन पुत्र कैलाश मण्डल निवासी नजफगढ थाना नजफगढ दिल्ली ।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन (लावा कम्पनी) । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 221/2022 धारा 380/411/34 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0श्री विकुल कुमार
- 2-का0 335 राकेश कुमार
3. का0 373 बबलू
4. का0 644 सुनील कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 04-06-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 188/22 धारा 393/307 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 03-06-2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी मुकेश पांचाल पुत्र रामकला निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त महताब पुत्र आसफ अली निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, ने



वादी की मां के कुण्डल चोरी करने के लिये वादी की मां को जान से मारने की नियत से गला दबाया जिससे वादी की मां के चिल्लाने पर आस-पास के लोगो द्वारा अभियुक्त महताब को रंगे हाथ पकड लिया । वादी व जनता के लोगो द्वारा उपरोक्त अभियुक्त महताब को पकड कर थाने पर लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त महताब पुत्र आसफ अली निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 188/22 धारा 380/511/454/323 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में बयान वादी व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 380/511/454/323 का विलोप किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 393/307 की बढौत्तरी की गयी ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-महताब पुत्र आसफ अली निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –

1-मु०अ०सं० 235/11 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु०अ०सं० 85/22 धारा 328/392 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-मु०अ०सं० -188/22 धारा 393/307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है०का० 310 विरेन्द्र सिंह थाना सि०अहीर

2-का० 932 रविन्द्र कुमार थाना सि०अहीर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 22/22 धारा 147/352/504/506/354/354डी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 22/22 धारा 147/352/504/506/354/354डी भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.बन्टी पुत्र सोमपाल उर्फ सोमी निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि0 श्री हरिजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2.का0 333 नितेश कुमार कोतवाली बागपत





प्रेस नोट  
थाना चांदीनगर

दिनांक 04.06.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- विनोद पुत्र नाहर सिंह निवासी ग्राम सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2- मोनू पुत्र विनोद निवासी ग्राम सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3- कृष्ण कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम सिखैडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना चांदीनगर ।
- 2- का0 832 बितेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर ।
- 3- का0 1009 तेजेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर ।